



**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 140]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 3, 2016/फाल्गुन 13, 1937

No. 140]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 3, 2016/ PHALGUNA 13, 1937

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 मार्च, 2016

**सा. का. नि. 272 (अ).**—पासपोर्ट अधिनियम, 1967 (1967 का 15) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस विचार से कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक तथा समयोचित है, एतद्वारा उन पासपोर्ट धारकों जिनके पासपोर्ट नवंबर, 2015 में तमिलनाडू राज्य में आई बाढ़ के कारण नष्ट अथवा खो गए हैं, को पासपोर्ट नियमावली 1980 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 5 के तहत निर्धारित पासपोर्ट शुल्क के भुगतान से छूट प्रदान करती है जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगी अर्थात्:-

(क) पासपोर्ट शुल्कों के भुगतान से इस प्रकार की छूट तमिलनाडू के केवल उन पासपोर्ट धारकों को दी जाएगी जिनके पासपोर्ट बाढ़ में नष्ट हो गए हैं अथवा खो गए हैं;

(ख) इस प्रकार की छूट का लाभ उठाने वाले सभी इच्छुक आवेदकों को डुप्लीकेट पासपोर्ट जारी किए जाएंगे जिन पर पुराने पासपोर्ट का ब्यौरा अंकित होगा

(ग) इस प्रकार की छूट 8 दिसंबर, 2015 से तीन माह तक की अवधि के लिए लागू रहेगी।

[फा०सं० VI/401/01/51/2015]

मुक्तेश कु० परदेशी, संयुक्त सचिव एवं मुख्य पासपोर्ट अधिकारी

प्रधान अधिनियम (1967 का 15) और इसके तहत निरूपित 1980 के नियम भारत सरकार के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किए गए।

**MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st March, 2016

**G.S.R.272(E).**—In exercise of the powers conferred by section 22 of the Passports Act, 1967 (15 of 1967), the Central Government, being of the opinion that it is necessary and expedient in the public interest so to do hereby exempts the passport holders whose passport got damaged or lost due to flood in the State of Tamil Nadu in November, 2015 from payment of passport fees specified under section 5 of the said Act, read with rule 8 of the Passports Rules, 1980 subject to the following conditions, namely :-

- (a) such exemption in payment of passport fees shall be applicable only to such passport holders of Tamil Nadu whose passports are damaged or lost in the flood;
- (b) duplicate passports shall be issued to all applicants desirous of availing such exemption with the same particulars as in their previous passports and for the remaining period of validity;
- (c) such exemption shall remain in force for a period of three months with effect from 8th December, 2015.

[F. No.VI/401/01/51/2015]

MUKTESH K. PARDESHI, Jt. Secy. and Chief Passport Officer

The Principal Act (15 of 1967) and the Rules of 1980 framed thereunder were published in the official Gazette of Government of India.